तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
[illegible]	[illegible]

[illegible] भूमि [illegible] के [illegible] पर [illegible] भूमि [illegible] है। [illegible] भूमि [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की सीमा के लागी हैं। इस प्रकार
प्रकरण के विभाजीय इस्तगासा
कराणी कोर्ट दायाणा तहसील गुढ़ामालानी
जिला बाड़मेर जोधपुर के खेत खा.नं. 52, 53,
55 की खसरा गिरदावरी है। अंकित दोनों
पक्षकारों ने ख.नं. 1, 2, 3, 4. व
52, 53, 55 के मध्य की सीमा
जिला बाड़मेर व जिला जोधपुर की
सीमा है होने के कारण बाड़मेर जिला
जोधपुर की व तहसील गुढ़ामालानी
जिला बाड़मेर की राजस्व टीम द्वारा
भू-प्रबन्ध विभाग की टीम के साथ
सीमा विवाद का निस्तारण किया जाना
है ऐसी स्थिति में इस अन्तरिम प्रकरण
के ख.नं. 1, 2, 3, 4 की खसरा 151.07
बीघा भूमि का सीमांकन व नेक्स्ट-ऑफ-काउन्ट
किया/कराया जाना उचित प्रतीत होता
है। इस हेतु वकील विभाजीय द्वारा भी
अपनी सहमति प्रकट की है। अतः श्रीमान
जिला कलेक्टर बाड़मेर के पत्रांक 151 दिनांक
06/01/22 के अनुसरण में इस्तगासा
प्रकरण स्वीकार किया जाता है। आदेश
कक्षा के लिखाया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया जाय। [illegible] तहसीलदार
गुढ़ामालानी [illegible] हो। पालना
प्राप्त होने पर [illegible] करी
फावली निर्णय सुनाया जाकर कार्यवाही इसार
हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested